Uttarakhand Power Corporation Ltd
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun-248001
Phone : 91-135-2763672-75 FAX: 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपॅरेशन लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपकम)
उर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्या : 2499–नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 158का0अनु0'ए' / आर–5 दिनांक 23 जून,2009

समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक(वै.एंव यां. / जानपद / वित्त)
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विषय :–'अर्जित अवकाश के आगणन की कार्यविधि के सरलीकरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।'

पूर्ववर्ती परिषद के आदेश सं.344–जी / रा0वि0प0–एक–230ए / 66,दिनांक 31–01–1979 के माध्यम से अर्जित अवकाश के आगणन की कार्यविधि के सरलीकरण सम्बन्धी आदेश निर्गत किए गए थे, जो कारपोरेशन में साम्प्रति प्रवृत्त हैं। उपर्युक्त आदेश में व्यवस्था है कि प्रत्येक कर्मचारी के अवकाश लेखे में प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 31 दिन का अर्जित अवकाश दो छमाही किस्तों में जमा किया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को 16 दिन तथा पहली जुलाई को 15 दिन का अर्जित अवकाश जमा किया जाएगा तथा वर्ष की पहली छमाही की समाप्ति पर कर्मचारी के आवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश वर्ष की अगली छमाही में लाया [Carry forward] जाएगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जो अवकाश आगे लाया जायेगा और उसमें अगली छमाही का जो अवकाश जमा किया जायेगा वह कुल मिलाकर 180(दिनांक 30–12–1999 से 300)दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा ।

कतिपय इकाईयों द्वारा वर्ष की पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को जमा किया जाने वाला अर्जित अवकाश अग्रिम[In advance] जमा किया जाता है किन्तु पहले से ही अवकाश लेखे में अधिकतम 300 दिन का अवकाश जमा होने की स्थिति में पहली जनवरी या पहली जुलाई को अग्रिम[In advance] जमा किया जाना वाला अवकाश In advance व्यपगत[Lapse] कर दिया जाता है। इस प्रकार अधिकतम अवकाश जमा होने की स्थिति में एक ओर तो कार्मिकों को देय अर्जित अवकाश वर्ष में दो बार व्यपगत होता है दूसरी ओंर अर्जित अवकाश का उपभोग करने की स्थिति में उनके संचित अवकाश में से अर्जित अवकाश कम कर दिए जाने से कार्मिकों को उनकी सेवा के आधार पर अर्जित होने वाले अवकाश की निरन्तर दोहरी हानि होती है।

कार्मिकों को निरन्तर होने वाली हानि को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त एकरूपता बनाए रखने हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि अर्जित अवकाश लेखे में अधिकतम 300 दिन का अवकाश जमा होने की स्थिति में पहली जनवरी या पहली जुलाई को अग्रिम[In advance] जमा किया जाना वाला अवकाश चूंकि सेवावधि के आधार पर 2½ (ढाई)दिन प्रति मास की दर से पूरे वर्ष में 31 दिन अर्जित किया जाता है अतः सम्बन्धित अवधि की निरन्तर सेवा के अनुसार ही अर्जित होने पर अवकाश व्यपगत किया जाना अपेक्षित है न कि अग्रिम [In advance] अवकाश जमा किए जाने पर। इसके लिए अवकाश लेखे में अधिकतम 300 दिन का अवकाश जमा होने की स्थिति में पहली जनवरी या पहली जुलाई को जमा किया जाने वाले अवकाश के लिए सम्बन्धित लेखे में पृथक व्यवस्था की जानी अपेक्षित है जो अवकाश लेखे में अधिकतम 300 दिन का अवकाश जमा रहने की स्थिति में सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति पर ही व्यपगत [Lapse] होगा, प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित अवधि में कार्मिक अनवरत सेवारत रहा हो। उदाहरणार्थ यदि किसी कार्मिक के अवकाश लेखे में किसी वर्ष के अन्तिम दिन 300 दिन का अवकाश जमा है तो अगले वर्ष 2½ (ढाई)दिन प्रति मास की दर से अर्जित 31 दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग किया जा सकता है, अन्यथा 300 दिन से अधिक अर्जित अवकाश सम्बन्धित वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत[Lapse] होगा और अगले वर्ष में अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश ही अग्रेनीत [Carry forward] होगा। इस प्रकार निरन्तर सेवा के आधार पर अर्जित अवकाश का सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उपभोग किया जा सकता है, किन्तु सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के समतुल्य राशि के भुगतान की स्थिति में अधिकतम सीमा 300दिन से अधिक का नकदीकरण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है। उपर्युक्त आदेश का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः पृष्ठ–02 :–

संख्या 2411 –नि0(मा0सं0) / उपाकालि / 157अनु.ए / ओ.ई–4,तददिनांक, 23 जून,2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।

2– समस्त निदेशक,उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।

3– कम्पनी सचिव एंव उप महाप्रबन्धक(विधिक)उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,ऊर्जा भवन,देहरादून ।

4– उप महाप्रबन्धक(मा0सं0 / कार्मिक) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून।

5– उप महाप्रबन्धक(सूचना प्रोद्योगिकी) उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून।

6– समस्त अधिकारी एंव अनुभाग, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0,ऊर्जा भवन,देहरादून ।

[शरद कृष्ण]
निदेशक (मा0सं0)